न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 21/2021
3. उनवान : ग्राम पंचायत काचरोदा पंचायत समिति दूदू तहसील फुलेरा जिला जयपुर जरिये ग्राम विकास अधिकारी।

–निगरानीकार

बनाम

रतन लाल पुत्र भैरूराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी आनन्दपुरी, श्यामनगर काचरोदा, पंचायत काचरोदा, पंचायत समिति दूदू तहसील फुलेरा जिला

–विपक्षी/गैर निगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 28/11/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदनलाल कुडी निगरानीकार की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 1 ने पट्टा चाहने बाबत् आवेदन वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत जाकर नियम विरूद्ध निगरानीकार को मुगालते में रखते हुये चारागाह भूमि में बने हुये पुराने मकानात का पट्टा आबादी भूमि में बताकर दिनांक 21/11/2019 को पट्टा संख्या 83 क्षेत्रफल 244.44 वर्गगज जारी करवा लिया। कौरम बैठक में पटवार हल्का ने भी पत्रावलीयों का अवलोकन किया व बने हुये मकानात आवेदनकर्ताओं के आबादी भूमि में होना बताया। चारागाह की भूमि जो गै०मु० आबादी के लगवा भूमि है। शिकायत पर गठित जांच कमेटी द्वारा की गई जांच व तहसीलदार सांभरलेक द्वारा की गई पुष्टि द्वारा उक्त जारी पट्टा चारागाह भूमि में होना पाया। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत/निगरानीकार ने कौरम के व विपक्षी संख्या 1 के विश्वास पर चूंकि मौके पर काफी आबादी बसी हुई हैं और उक्त जारी पट्टा को आबादी में मानते हुये चूंकि यह चारागाह भूमि की सीमा से लगती हुई होने के कारण यह ध्यान नहीं रहा और उक्त पट्टा विपक्षी संख्या 1 को जारी कर दिया गया। उक्त निगरानीधीन पट्टा सहवन से और आवेदनकर्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन व शपथपत्र पर विश्वास कर कौरम द्वारा भी इन तथ्यों पर विश्वास कर मौके आदि का अवलोकन कर चूंकि आबादी और चारागाह भूमि की सीमा पर उक्त मकानात होने के कारण आबादी में होना मानकर अपनी रिपोर्ट वगैरह पेश की जिसके आधार पर उक्त पट्टा चारागाह भूमि में जारी हो गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक पसदू/जांच/1021/1586 दिनांक 29/7/2021 के द्वारा उक्त विधि विरूद्ध पट्टों को निरस्त करने बाबत् ग्राम पंचायत की ओर से निगरानीयां प्रस्तुत कर जारी पट्टों को निरस्त कराने की स्वीकृत प्रदान की हैं। विधि विरूद्ध आदेशों के विरूद्ध मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। अन्त में निवेदन किया है कि संकल्प संख्या 14 दिनांक 20/11/2019 की अनुपालना में पट्टा संख्या 83 दिनांक 21/11/2019 को जारी किया गया को व इससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

ग्राम पंचायत काचरोदा बनाम रतन लाल

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने निगरानीधीन पट्टा संख्या 83 दिनांक 21/11/2019 मय सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेश की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकार जारी किये गये। गैर निगरानीकार की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम कुमावत ने वकालतनाम पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

दौराने बहस अधिवक्ता गैरनिगरानीकार ने "No Instrruction" का निवेदन किया। अतः अधिवक्ता निगरानीकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत जाकर नियम विरुद्ध चारागाह भूमि में बने हुये पुराने मकानात का पट्टा आबादी भूमि में बताकर दिनांक 21/11/2019 को पट्टा संख्या 83 क्षेत्रफल 244.44 वर्गगज का पट्टा ग्राम पंचायत काचरोदा से जारी करवा लिया। चारागाह की भूमि जो गै०मु० आबादी के लगवा भूमि है। शिकायत पर गठित जांच कमेटी द्वारा की गई जांच व तहसीलदार सांभरलेक द्वारा की गई पुष्टि द्वारा उक्त जारी पट्टा चारागाह भूमि में होना पाया। आबादी और चारागाह भूमि की सीमा पर उक्त मकानात होने के कारण आबादी में होना मानकर रिपोर्ट वगैरह पेश की जिसके आधार पर उक्त पट्टा चारागाह भूमि में जारी हो गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू के द्वारा दिनांक 29/7/2021 को विधि विरुद्ध पट्टों को निरस्त करने बाबत् ग्राम पंचायत की ओर से निगरानीयां प्रस्तुत कर जारी पट्टों को निरस्त कराने की स्वीकृत प्रदान की हैं। विधि विरुद्ध आदेशों के विरुद्ध मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। अतः संकल्प संख्या 14 दिनांक 20/11/2019 की अनुपालना में पट्टा संख्या 83 दिनांक 21/11/2019 को व इससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया। विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू की रिपोर्ट दिनांक 29/07/2021 के अनुसार निगरानीधीन पट्टा सीमाज्ञान अनुसार चारागाह भूमि में जारी होना पाया गया। ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा भूमि चिन्हीकरण/भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण भूमि किस्म का निर्धारण नहीं हो पाने से निगरानीधीन पट्टा आबादी भूमि में जारी ना होकर चारागाह भूमि में जारी हो गया। किन्तु तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक की रिपोर्ट 4398 दिनांक 17.06.2021 में निगरानीधीन पट्टा संख्या 83 के संबंध में कोई अंकन नहीं होने से पट्टे की भूमि की किस्म का निर्धारण नहीं किया जा सका। अतः भूमि किस्म निर्धारण नहीं होने के कारण प्रकरण रिमाण्ड योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर संकल्प संख्या 14 दिनांक 20/11/2019 की अनुपालना में ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा जारी पट्टा संख्या 83 दिनांक 21/11/2019 को निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जाता है कि निगरानीधीन पट्टे के सन्दर्भ में रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति को सही सत्यापन कर प्रश्नगत भूमि की किस्म निर्धारण करें तथा नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेवें।

निर्णय आज दिनांक 28/11/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर